प्रेषक,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ।

सेवा में,

1.प्रक्षेत्र प्रबंधक/प्रक्षेत्र अधीक्षक,
रा0 प0 एवं कृषि प्रक्षेत्र, बाबूगढ़–हापुड़/हस्तिनापुर–मेरठ/सैदपुर–ललितपुर/ भरारी–झांसी/नीलगांव–सीतापुर/मंझरा–खीरी/निबलेट–बाराबंकी/बोहदपुरा–जालौन।

2.मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उरई–जालौन/रायबरेली।

संख्या /चारा/3–डी–60/ 2016–17, दिनांक : 23/03/2017

विषयः <u>परती (वेस्टलैण्ड)/गोचर भूमि पर चरागाह विकास की योजना (100 प्रतिशत के0पो0)अन्तर्गत उपलब्ध कराई गयी धनराशि के सापेक्ष कार्यान्यवन हेतु दिशा निर्देश।</u>

महोदय,

उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक–471/बजट/29(5)/अनु0–15/32/2016–17 दिनांक 22.03.2017 द्वारा निम्नलिखित प्रक्षेत्रों/गोशालाओं को धनराशि आवंटित की गयी है :–

(धनराशि रूपये हजार में)

क0 सं0	प्रक्षेत्रों/गोशालाओं का नाम एवं पता	मानक मद			योग
		02–मजदूरी	42–अन्य व्यय	43–सामग्री एवं सम्पूर्ति	
1	राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, बाबूगढ़–हापुड़	30.00	50.00	70.00	**150.00**
2	राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, हस्तिनापुर–मेरठ	30.00	50.00	70.00	**150.00**
3	राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, सैदपुर–ललितपुर	30.00	50.00	70.00	**150.00**
4	राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, भरारी–झांसी	30.00	50.00	70.00	**150.00**
5	राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, मंझरा, लखीमपुर–खीरी	30.00	50.00	70.00	**150.00**
6	राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, नीलगांव–सीतापुर	30.00	50.00	70.00	**150.00**
7	राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, निबलेट–बाराबंकी	30.00	50.00	70.00	**150.00**
8	राजकीय भेंड़ एवं बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, बोहदपुरा–उरई–जालौन	30.00	50.00	70.00	**150.00**
9	गोपाल गोशाला सेवा आश्रम, ग्राम एवं पो0–सिधौना, अमवा, रायबरेली	30.00	50.00	70.00	**150.00**
10	गोविन्द गोशाला, ग्राम एवं पो0–बाला हरचन्द्रपुर, रायबरेली	30.00	50.00	70.00	**150.00**
	योगः–	**300.00**	**500.00**	**700.00**	**1500.00**

उक्त धनराशि से पूर्व में विकसित 10 हे0 भूमि पर उन्नतशील चरागाह की स्थापना की जानी है। भारत सरकार के दिशा निर्देशो के अनुसार प्रत्येक यूनिट (10 हे0 भूमि) को विकसित करने हेतु पूजीगत मद अन्तर्गत 24–वृहत निर्माण में रू0 6500.00 हजार तथा राजस्व मद अन्तर्गत अब तक 02–मजदूरी, 42–अन्य व्यय व 43–सामग्री सम्पूर्ति में कुल रू0 1300.00 हजार धनराशि आवंटित की जा चुकी है। राजस्व मद की अवशेष आवंटित धनराशि से 02–मजदूरी, 42–अन्य व्यय तथा 43–सामग्री सम्पूर्ति मद में व्यय करते हुए अवशेष कार्य पूर्ण किया जाना है। अतः चारागाह विकास हेतु निम्न निर्देशों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त से किसी भी प्रकार के विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

➢ उपलब्ध कराई गयी धनराशि से भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइड लाइन्स का अनुपालन करते हुए निम्न तालिका के अनुसार ही धनराशि व्यय की जाये:–

भारत सरकार की गाइड लाइन द्वारा निर्धारित कार्य **(धनराशि हजार रू0 में)**

क0सं0	कार्यान्वित मदों का नाम	धनराशि
1	पर्यवेक्षणीय कार्य हेतु मजदूरों की मजदूरी भुगतान पर व्यय	30.00
2	चारा बीज/बहुवर्षीय चारा घास की जड़े (नैपियर/गिनी आदि), खाद एवं उर्वरक तथा कीटनाशी के क्रय आदि पर व्यय	70.00
3	भण्डार/डेड स्टाक के मरम्मत आदि पर व्यय	50.00
	योग	**150.00**

76-Chara letter-16-17

प्रक्षेत्र प्रबन्धक, बाबूगढ़–हापुड़, हस्तिनापुर–मेरठ, भरारी–झांसी, सैदपुर–ललितपुर, नीलगांव–सीतापुर, मंझरा–खीरी, निबलेट–बाराबंकी, प्रक्षेत्र अधीक्षक बोहदपुरा–जालौन एवं गोपाल सेवा आश्रम ग्रा0 एवं पो0 सिधौना अमवा रायबरेली एवं गोविन्द गौशाला ग्रा0 एवं पो0 बाला हरचन्द्रपुर जनपद रायबरेली को रू0 1500.00 हजार प्रति यूनिट (रू0 1.50 लाख) की दर से धनराशि आवंटित की गई है। संबंधित प्रक्षेत्र प्रबन्धक/पशुचिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को भारत सरकार की गाइड लाईन द्वारा निर्धारित कार्य क्रमशः 1, 2 एवं 3 पर व्यय किया जायेगा।

- प्रश्नगत कार्य कराने से पूर्व यदि आवश्यकता हो तो सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- आवंटित धनराशि से तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित कार्य मदों की धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- आवंटित की गयी धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाय।
- इस योजनान्तर्गत पूर्व में आवंटित धनराशि से विकसित चरागाह पर उक्त कार्य कराये जाये।
- उक्त धनराशि से पूर्व में विकसित 10 हे0 भूमि पर चरागाह का विकास के अवशेष कार्य पर व्यय किया जाना है जिसके अन्तर्गत चारा बीज/बहुवर्षीय चारा घास की जड़े, खाद एवं उर्वरक, कीटनाशी के क्रय आदि पर व्यय, भण्डार/डेड स्टाक के मरम्मत पर व्यय तथा पर्यवेक्षणीय कार्य हेतु लगाये गये मजदूरों की मजदूरी पर व्यय सम्मिलित है।
- आवंटित धनराशि का आहरण एवं कार्यान्वयन बजट आवंटन पत्र संख्या–471/बजट/29(5)/अनु0–15/32/2016–17 दिनांक 22.03.2017 में उल्लिखित बिन्दुओं का कड़ाई से अनुपालन करते हुए सुनिश्चित किया जाय।
- पूर्व में विकसित 10 हे0 भूमि जिस पर उक्त कार्य किया जाना है, उसका खसरा संख्या एवं गाटा संख्या इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
- व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र तत्काल उपलब्ध कराया जाय।
- **आवंटित की जा रही धनराशि पुर्नविनियोग के माध्यम से प्राप्त हुई है, जिसका शत–प्रतिशत व्यय सुनिश्चित किया जाये। किसी भी दशा में समर्पण स्वीकार नही होगा।**
- धनराशि व्यय करने के उपरान्त कार्यक्रम का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निम्न प्रारूप पर यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाये।

क0सं0	मद का नाम	कराये गये कार्य/सामग्री के क्रय पर व्यय का विवरण				अभ्युक्ति (बिल/वाउचर्स की छायाप्रति भी संलग्न करें।)
		कार्य/सामग्री का विवरण	मात्रा	दर	धनराशि	

भवदीय

(डा0 सी0एस0 यादव)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास

संख्या 55 /चारा/3–डी–60/2016–17 दिनांक :

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– उपनिदेशक(प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2– अपर निदेशक ग्रेड–।।, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ मण्डल लखनऊ/झांसी मण्डल झांसी/मेरठ मण्डल मेरठ/फैजाबाद मण्डल फैजाबाद।
3– संयुक्त निदेशक (नियोजन) मुख्यालय।
4– वित्त एवं लेखाधिकारी (बजट) मुख्यालय।
5– प्रमुख सचिव, पशुधन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
6– उपायुक्त, (एफ0एफ0),भारत सरकार, कृषि मंत्रालय,पशुपालन,डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग, कक्ष सं0–346,कृषि भवन, नई दिल्ली।
7.– विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(डा0 सी0एस0 यादव)

77-Chara letter-16-17